Government to bring the present production of sugarcane in Gujarat at par with the national average?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) The average installed sugar production capacity of a sugar mill in Gujarat State as on 30.6.1995 was 0.451 lakh tonnes as against the national average of 0.2768 lakh tonnes.

(c) and (d) The required information is as under:

Sugar Season	Cane crushed (lakh tonnes)		Sugar Production (Lakh Tonnes)	
	Gujarat	All India	Gujarat	All India
1991-92	67.63	1339.99	7.53	134.11
1992-93	66.25	1029.71	7.51	106.09
1993-94	74.42	982.05	8.26	98.24

(e) The Government have taken/initiated the following measures in order to give a boost to the sugarcane production during 1994-95 sugar season:—

(i) Early-crushing incentives have been announced in the form of higher freesale quota at 72%, as against the normal entitlement of 60% to sugar mills for the production achieved during the period 1.10.1994 to 15.11.1994.

(ii) Late-crushing incentives have been announced in the form of higher freesale quota at 75%, as against the normal entitlement of 60%, to sugar mills for the production achieved during the period 1.5.1995 to 31.7.1995.

(iii) The Statutory Minimum Price (SMP) of sugarcane for 1994-95 season has been raised to Rs. 39.10 per quintal linked to the basic recovery of 8.5% with a premium of Rs. 0.46 for every 0.1% point increase in the recovery above that level upto 10% and Rs. 0.60 for every 0.1% point increase in the recovery above 10%.

(iv) An advance announcement of SMP for 1995-96 season has also been made at Rs. 42.50 per quintal linked to a basic recovery of 8.5%, subject to premium for higher recoveries.

(v) Loans are also being provided from the Sugar Development Fund at concessional rates of interest to sugar factories for undertaking cane development schemes in their areas of production.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के यूरिया आयात सौदे

1912. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मई, 1995 के "दी बिजनेस स्टेन्डर्ड" में "एम.एम.टी.सी. यूरिया इम्पोर्ट कोस्ट्स डालर 40 एम. मोर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम गैर-सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों से सफलतापूर्वक प्रति-स्पर्धा करने में असमर्थ रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र की इन संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत अधिक होने के कारण ही देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा किए जा रहे आयात-निर्यात की कीमतों में कमी करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) जी, हां।

(ख) निजी क्षेत्र की किसी भी कम्पनी को यूरिया का आयात करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। एम.एम.टी.सी. इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है।

Consumer Welfare Funds in various States

1913. **SHRI RAMDAS AGARWAL:**
SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of **CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION** be pleased to state:

(a) the number of Consumer Welfare Funds created in Rajasthan, Orissa, Bihar and Uttar Pradesh in particular and other States in general;

(b) the number of Non-Government organisations which have been given help from this fund, State-wise; and

(c) how far Government feels satisfied about the benefits accrued to consumers with their schemes/activities in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Under the Central Excise and Salt Act, 1944 (One of 1944), a Consumer Welfare Fund has been set up by the Central Government which is being operated by the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution.

(b) Details at Statement (see below).

(c) As a result of various measures taken by the Government, such consumer organisations are becoming strong and consumer movement is slowly but firmly emerging on Indian scene.

Statement

State-wise number of non-government organisations which have been sanctioned assistance from the consumer welfare fund

S.No.	State/UTs	No. of NGO's
1.	Andhra Pradesh	10
2.	Assam	1
3.	Bihar	1
4.	Gujarat	6
5.	Himachal Pradesh	2
6.	Karnataka	4
7.	Kerala	5
8.	Madhya Pradesh	1
9.	Maharashtra	5
10.	Orissa	6
11.	Rajasthan	4
12.	Tamilnadu	19
13.	Uttar Pradesh	9
14.	West Bengal	2
15.	Chandigarh	1
16.	Delhi	8

गैर-सरकारी ऊर्जा उत्पादन एककों को कोयला खानों का आवंटन

1914. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या कोयला मंत्री 31 जुलाई, 1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक किन-किन कम्पनियों/परियोजनाओं को कौन-कौन से कोयला क्षेत्र आवंटित किए गये हैं;

(ख) कोयला क्षेत्रों के आवंटन के संबंध में निर्धारित निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वीकृत कोयला क्षेत्रों में कोयले की अनुमानित मात्रा का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक आवंटित कोयला क्षेत्रों में कोयले की कितनी मात्रा उपलब्ध होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) 12 निजी पार्टियां, जिन्हें कि कोयले के ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, उक्त के संबंध में ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए कोयला खनन किए जाने के लिए निजी क्षेत्र के ब्लाकों को आवंटित किए जाने हेतु अपनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) ग्रहीत उपयोग के लिए खनन किए जाने हेतु अभी तक 16 कोयला क्षेत्रों में 47 कोयले के ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किया गया है और उनमें कुल अनुमानित भू-गर्भीय भंडार लगभग 14,000 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।

विद्युत का उत्पादन किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट किए गए ग्रहीत कोयला ब्लाकों से कोयले के उत्पादन का कार्यक्रम खनन क्रियाकलापों को शुरू किए जाने से पूर्व विभिन्न प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पूरा होने तक निर्भर करता है। अभी तक विनिर्दिष्ट किए गए ब्लाकों में उत्खनित किए जाने योग्य कोयले के उपलब्ध भंडार, संयंत्रों की 30 से 35 वर्ष तक की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त होंगे।